2015 का विधेयक संख्यांक 255

[दि कांस्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 124 में, खण्ड (1) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— अनुच्छेद 124 का संशोधन।

''परंतु यह कि ऐसे एक-तिहाई न्यायाधीश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।''।

3. संविधान के अनुच्छेद 216 में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— अनुच्छेद 216 का संशोधन।

''परंतु यह कि ऐसे एक-तिहाई न्यायाधीश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को युगों से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के रूप में देखा जाता रहा है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अपमान किया गया है और उनकी उपेक्षा की गई है।

उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के कुछ परिणाम सामने आए हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में भी उनके पक्ष में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तथापि, उनका प्रतिनिधित्व सीमित है। न्यायपालिका में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण की कई ओर से मांग की गई है। अत: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने की दृष्टि से संविधान का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
13 नवम्बर, 2015
22 कार्तिक, 1937 (शक)

उदित राज

उपाबंध

भारत के संविधान में से उद्धरण

* * * * *

124. (*1*) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।

* * * * *

216. प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। उच्च न्यायालयों का गठन।

* * * * *

लोक सभा

———

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

———

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—3148LS(S3)—09.12.2015.